

हरियाणा राज्य परिवहन, कैथल।

विज्ञप्ति

शिक्षुता अधिनियम 1961 के अन्तर्गत निम्नलिखित प्रशिक्षुओं का चयन किया जाना है। चयनित प्रशिक्षुओं की प्रशिक्षण अवधि एवं प्रशिक्षण भत्ता शिक्षुता अधिनियम 1961 के अनुसार देय होगा। प्रशिक्षुओं का विवरण ट्रेडवाईज निम्न प्रकार से है:-

| Trade | Requirement | Trade | Requirement |
|-------------------------------------|-------------|------------------------|-------------|
| Painter | 02 | Mechanic Motor Vehicle | 22 |
| Welder | 02 | Steno Hindi Typist | 02 |
| Carpenter | 03 | Electrician | 03 |
| COPA | 02 | Tailoring in Sewing | 02 |
| Turner | 02 | | |
| Total Apprenticeship Requirement=40 | | | |

इच्छुक उम्मीदवार अपना रजिस्ट्रेशन व आवेदन ऑनलाईन वेबसाइट (www.apprenticeshipindia.gov.in) पर दिनांक 25.10.2024 से 03.11.2024 तक सांय 17:00 बजे तक कर सकते हैं। आवेदन के समय उम्मीदवार अपना फोटो, आधार नं०, आई०डी०, रिहायशी प्रमाण पत्र, मैट्रिक प्रमाण पत्र, आई०टी०आई० विभाग द्वारा जारी आई०टी०आई की फाइनल मूल प्रमाण पत्र (with marks) ही अपलोड करें। अगर ऑनलाईन आवेदन में किसी भी प्रार्थी की माता का नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि व नियुक्ति से पूर्व उसके दस्तावेजों के निरीक्षण उपरान्त कोई भी त्रुटि पाई जाती है तो उसका आवेदन रद्द कर दिया जाएगा दिनांक 03.11.2024 के पश्चात किए गए आवेदन मान्य नहीं होंगे। फाइनल लिस्ट जारी होने उपरान्त यदि आवेदक एक सप्ताह के अन्दर-अन्दर अपनी उपस्थिति कार्यालय में नहीं देता है तो उसकी नियुक्ति रद्द कर दी जाएगी। सफल प्रशिक्षुओं का चयन आई०टी०आई० मार्कशीट के अंकों के अनुसार केवल मैरिट आधार पर ही किया जाएगा।

महाप्रबन्धक

हरियाणा राज्य परिवहन, कैथल।